23/5/25 पत्रावली पेश हुई। मौके पर कोई उप. नहीं है। मूल वाद अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज की जा चुकी है। इस लिए यह पत्रावली को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए यह पत्रावली भी आज दिनांक पर अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद दाखिल मूल वाद के साथ शामिल रहे।

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली–बहरोड़)